



## सबका साथ-सबका विकास पहले आओ-पहले सोलर पंप पाओ

वर्ष 2024-25 में

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

(पी.एम.कुसुम) योजनान्तर्गत कृषकों को 60%

(10 एच.पी. पर 7.5 एच.पी. के समतुल्य) अनुदान पर



## सोलर पंप पाने का

स्वर्णिम अवसर

(आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है)



सोलर पंप पर अनुदान का विवरण

(धनराशि रु. में)

क्र. सं.	सोलर पंप का प्रकार	सोलर पंप का निर्धारित मूल्य	अनुदान प्रति सोलर पंप	कृषक अंश	
				टोकन मनी	अवशेष कृषक अंश
1	2 एच.पी. डी.सी. सरफेस पंप	1,71,716	1,03,030	5,000	63,686
2	2 एच.पी. ए.सी. सरफेस पंप	1,71,716	1,03,030	5,000	63,686
3	2 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल पंप	1,74,541	1,04,725	5,000	64,816
4	2 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप	1,74,073	1,04,444	5,000	64,629
5	3 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल पंप	2,32,721	1,39,633	5,000	88,088
6	3 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप	2,30,445	1,38,267	5,000	87,178
7	5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप	3,27,498	1,96,499	5,000	1,25,999
8	7.5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप	4,44,094	2,66,456	5,000	1,72,638
9	10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप	5,57,620	2,66,456	5,000	2,86,164

### नियम एवं शर्तें

- योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट [www.agriculture.up.gov.in](http://www.agriculture.up.gov.in) पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट [www.agriculture.up.gov.in](http://www.agriculture.up.gov.in) पर "अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। शेष नियम एवं शर्तें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

### विशेष सूचना

- वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत जिन कृषकों के द्वारा आवेदन किया गया है उनके टोकन दिनांक 25.06.2024 को कनफर्म किये जायेंगे जिसका मैसेज कृषक के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर भेजा जायेगा। कृषया विभागीय पोर्टल से ही चालान जनरेट कर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित अवधि के अन्दर अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा करें।
- यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कृषक अंश की धनराशि जमा करने हेतु कृषक को फोन किया जाता है तो कृषक भाई इसे संज्ञान में न लें। अधिक जानकारी हेतु अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क करें।

सोलर पंप लगवाएं, कृषि लागत में कमी पाएं।

**सूर्य प्रताप शाही**

मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं  
कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश



कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

**बलदेव सिंह ओलख**

राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं  
कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश